प्रेस नोट
दिनांक 09.02.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जुम्में की नमाज के दृष्टिगत स्वयं शहर क्षेत्र में भ्रमण कर कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का लिया गया जायजा –

पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जनपद में जुम्में की नमाज सकुशल सम्पन्न, पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो में पैनी नजर रखी गयी –

गोण्डा। आज दिनांक 09.02.2024 को जुम्में की नमाज के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत मय पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में पैदल गस्त किया गया। गस्त के दौरान ड्यूटी पर लगे जवानों के पास मौजूद दंगा नियंत्रण उपकरणों को चेक किया गया तथा चिन्हित हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों व मस्जिदों में शांतिव्यवस्था ड्यूटी में लगे जवानों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिया गया। महोदय द्वारा शहर क्षेत्र के मौलवी, धर्मगुरूओं से संवाद स्थापित कर जुमें की नमाज को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 9.02.2024, मॉनिटरिंग सेल,
जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10–10 साल का कारावास व रूपए 10–10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कन्विक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों–01. आज्ञाराम, 02. सुनील कुमार, 03. अनिल कुमार को 10–10 साल का कारावास व 10–10 हजार रूपये_के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 मनकापुर के पैरोकार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष–09 ने 10–10 साल का कारावास व 10–10 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. आज्ञाराम पुत्र रामसुन्दर नि0 सुन्दरपुरवा मौजा उपाध्यायपुर ग्रण्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. सुनील कुमार पुत्र आज्ञाराम नि0 सुन्दरपुरवा मौजा उपाध्यायपुर ग्रण्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. अनिल कुमार पुत्र आज्ञाराम नि0 सुन्दरपुरवा मौजा उपाध्यायपुर ग्रण्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–351/2016, धारा 307 भादवि 25/27 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।